



2026:AHC:61468

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आवेदन अंतर्गत धारा 528 बीएनएसएस संख्या - 5962 वर्ष 2026

पंकज कुमार यादव एवं एक अन्य

..... आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं एक अन्य

..... विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : दशरथ लाल

विपक्षी (गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 81

माननीय न्यायमूर्ति चवन प्रकाश

1. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता श्री दशरथ लाल तथा राज्य के लिए अपर शासकीय अधिवक्ता तथा विपक्षी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का परिशीलन किया।

2. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 528 के अंतर्गत वर्तमान आवेदन विचारण न्यायालय को यह निर्देशित करने हेतु दायर किया गया है कि वह अपर सत्र न्यायाधीश/एफ.टी.सी.-I, इलाहाबाद/प्रयागराज के न्यायालय में लंबित सत्र विचारण संख्या 365 वर्ष 2023 (राज्य बनाम पंकज यादव एवं अन्य), अंतर्गत धारा 323, 308, 452, 504, 506 भारतीय दंड संहिता, थाना झूंसी, जिला प्रयागराज, को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या-5, इलाहाबाद/प्रयागराज के न्यायालय में लंबित परिवाद संख्या 143 वर्ष 2022 (मंजू बनाम भानु प्रताप एवं अन्य), अंतर्गत धारा 323, 354, 504, 308 भारतीय दंड संहिता, थाना झूंसी, जिला प्रयागराज के साथ सम्बद्ध करे तथा यह निर्देशित किया जाए कि दोनों वादों का निस्तारण एक ही साझा आदेश द्वारा किया जाए।

3. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि विपक्षी संख्या 2 द्वारा आवेदकों के विरुद्ध दिनांक 15.04.2022 की रात्रि 9.00 बजे की एक घटना के संबंध में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसे आवेदकों के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 0167

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



वर्ष 2022, अंतर्गत धारा 323, 308, 452, 504 भारतीय दंड संहिता के रूप में पंजीकृत किया गया था। विवेचना के पश्चात, धारा 308, 452, 323, 504, 506 भारतीय दंड संहिता के तहत आरोप पत्र संख्या 02 वर्ष 2022 प्रस्तुत किया गया और विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा इस पर संज्ञान लिया गया। तत्पश्चात, मामले को सत्र न्यायालय के सुपुर्द कर दिया गया और वर्तमान में यह सत्र विचारण संख्या 265 वर्ष 2023 के रूप में विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश/एफ.टी.सी.-I, इलाहाबाद के समक्ष लंबित है। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक संख्या 1 की पत्नी, श्रीमती मंजू यादव ने भी दिनांक 15.04.2022 की रात्रि 9.00 बजे की घटना के संबंध में धारा 156(3) दंड प्रक्रिया संहिता के तहत एक प्रार्थना पत्र दायर किया था। उक्त प्रार्थना पत्र को परिवाद के रूप में दर्ज किया गया और विपक्षी संख्या 2 एवं अन्य व्यक्तियों को धारा 323, 354, 504, 308 भारतीय दंड संहिता के तहत सम्मन जारी किया गया। चूंकि दोनों मामले एक ही घटना से संबंधित हैं, जो दिनांक 15.04.2022 को रात्रि 9.00 बजे घटित हुई थी। अतः विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश/एफ.टी.सी.-प्रथम, इलाहाबाद को यह निर्देशित किया जाना न्यायोचित होगा कि वह दोनों मामलों को सम्बद्ध करें और एक ही साझा आदेश द्वारा उनका निस्तारण करें।

4. इसके विपरीत, विपक्षी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता ने आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों का विरोध किया और तर्क दिया कि विपक्षी संख्या 2 ने आवेदकों के विरुद्ध एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है और वह सत्र विचारण संख्या 365 वर्ष 2023 के रूप में विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश/एफ.टी.सी.-प्रथम, इलाहाबाद के समक्ष लंबित है, जबकि, परिवाद संख्या 143 वर्ष 2022 अभी भी विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या-5, इलाहाबाद के समक्ष लंबित है और उक्त मामले को अभी तक सत्र न्यायालय के सुपुर्द नहीं किया गया है। अतः, विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश/एफ.टी.सी.-प्रथम, इलाहाबाद, जो वर्तमान में मामले का विचारण कर रहे हैं, दोनों मामलों को सम्बद्ध नहीं कर सकते हैं और यह आवेदन खारिज किए जाने योग्य है।

5. इस मामले के तथ्यों के अनुसार, विपक्षी संख्या 2 ने आवेदकों के विरुद्ध एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने विवेचना पूर्ण करने के पश्चात आवेदकों के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया और मामले को सत्र न्यायालय के सुपुर्द कर दिया गया, जो वर्तमान में विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश/एफ.टी.सी.-प्रथम, इलाहाबाद के समक्ष लंबित है। आवेदक संख्या 1 की पत्नी मंजू यादव ने विपक्षी संख्या 2 एवं अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध दिनांक 15.04.2022 को रात्रि 9.00 बजे घटित घटना के संबंध में धारा 156(3) दंड प्रक्रिया संहिता के तहत एक प्रार्थना पत्र

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



दायर किया था, जिसमें विपक्षी संख्या 2 और अन्य परिवार के सदस्यों को संबंधित धाराओं के अंतर्गत सम्मन किया गया था; जबकि परिवाद संख्या 143 वर्ष 2022 (मंजू बनाम भानु प्रताप एवं अन्य), अंतर्गत धारा 323, 354, 504, 308 भारतीय दंड संहिता, वर्तमान में विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या-5, इलाहाबाद के समक्ष परिवाद संख्या 143 वर्ष 2022 के रूप में लंबित है।

6. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता ने यह स्वीकार किया है कि परिवाद संख्या 143 वर्ष 2022 को अभी तक सत्र न्यायालय के सुपुर्द नहीं किया गया है। अतः, इस स्तर पर, विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश, जो सत्र विचारण संख्या 365 वर्ष 2023 का विचारण कर रहे हैं, दोनों मामलों की एक साथ सुनवाई नहीं कर सकते।

7. यह एक स्थापित एवं लाभकारी परंपरा है कि जब दो आपराधिक मामले एक ही घटना से संबंधित होते हैं, तो उनका विचारण और निस्तारण एक ही न्यायालय द्वारा, एक ही दिन निर्णय सुनाकर किया जाता है। एक ही घटना के ऐसे दो अलग-अलग संस्करण, जिनके परिणामस्वरूप दो आपराधिक मामले बनते हैं, उन्हें संक्षिप्त रूप में क्रॉस केस कहा जाता है।

8. जब दो मामलों में से एक (जो एक ही घटना से संबंधित हों) आरोप-पत्रित हो या उसकी शिकायत की गई हो, और उसमें ऐसा अपराध या अपराध शामिल हों जो विशिष्ट रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय हों, किंतु दूसरे मामले में शामिल कोई भी अपराध विशिष्ट रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय न हो तो ऐसी स्थिति में, जिस मजिस्ट्रेट के समक्ष पहला मामला पहुँचता है, उसके पास संहिता की धारा 209 के प्रावधानों के अनुसार मामले को सत्र न्यायालय के सुपुर्द करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं होता। एक बार जब उक्त मामला सत्र न्यायालय को सुपुर्द कर दिया जाता है, तो उसके बाद वह संहिता के अध्याय XVIII (अध्याय 18) में निहित प्रावधानों द्वारा शासित होता है। यदि कोई शिकायत वाद या मामला विद्वान मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित है और संबंधित मजिस्ट्रेट किसी अपराध की जांच या विचारण के दौरान कार्यवाही के किसी भी चरण में यह पाता है कि उक्त मामला सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है, तो मजिस्ट्रेट का न्यायालय संहिता की धारा 323 द्वारा उसे प्रदत्त विशेष शक्तियों का प्रयोग कर सकता है।

9. आवेदकों के पास संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष धारा 323 दंड प्रक्रिया संहिता में दिए गए प्रावधानों के अनुसार उक्त मामले को सत्र न्यायालय में सुपुर्द कराने हेतु आवेदन करने का अवसर उपलब्ध है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



10. यह आवेदन आधारहीन है और तदनुसार **खारिज** किया जाता है।

25 मार्च, 2026

आरएमके

(न्यायमूर्ति चवन प्रकाश)

Translated Version. Not For Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।